अमर उजाला
प्रदेश

प्रदेश में आसान होंगे भवन निर्माण के नियम

उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में परामर्श बैठक का हुआ आयोजन

देहरादून। प्रदेश में भवन निर्माण के नियम आसान होंगे। आवास विभाग भवन उपविधि (बिल्डिंग बायलॉज) को सरल बनाने जा रहा है। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में परामर्श बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी हितधारकों ने हिस्सा लिया।

शनिवार को प्रमुख सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में परामर्श बैठक हुई। इसमें प्रमुख विकासकर्ताओं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, राज्य आर्किटेक्ट संघ के प्रतिनिधि व अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए। भवन उपविधियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें उपविधियों को अधिक पठनीय, व्यवहारिक, उपयोगकर्ता अनुकूल और प्रक्रिया सरलीकरण के सुझाव दिए गए। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, विशेषकर पर्वतीय स्वरूप को ध्यान में रखकर भवन निर्माण की व्यवहार्यता पर जोर दिया गया। प्रमुख सचिव आवास सुंदरम ने प्राधिकरण को निर्देश दिए कि सभी सुझावों को संकलन कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने सुझाव ऑफलाइन फीडबैक फॉर्म या ऑनलाइन लिंक से भी उपलब्ध कराने को कहा।

उन्होंने कहा कि यह पहल भवन निर्माण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाएगी। इससे डेवलपर्स आर्किटेक्ट, इंजीनियरों व नागरिकों को लाभ होगा। इस मौके पर अपर सचिव आवास डॉ. अहमद इकबाल, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियंता राजन सिंह, अधिशासी अभियंता विनोद चौहान, प्रोग्राम मैनेजर कैलाश चंद्र पांडे व अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो